

2/3/2020
 अध्यावली पेरा 381 वकील पत्रकारों
 हाजिर प्रीति 71 पर लक्ष्म उग्र
 पत्रकार सुनी गयी। वकील प्रार्थ
 ने निवेदन किया कि खान. 140/3
 रकबा 2 बीघा वाले ग्राम में
 सैदपील निवाइ में स्थित है। प्रार्थ
 उक्त ग्राम पर कब्जा करत है।
 अग्रार्थ सेलमा 1 त 0 का वार वक्ति
 ग्राम से कोई सम्बन्ध नहीं है।
 पूर्व में प्रार्थिता के पिता ने अग्रार्थिता
 के विरुद्ध एक वार हजारी/ शमशान्त
 शमर के न्यायालय में पेरा किया
 था जो वार प्रार्थिता के पिता
 के पक्ष में दिखी किना था फिर
 भी अग्रार्थिता प्रार्थिता की उक्त
 ग्राम को बिना किसी एक व
 अधिकार के हस्त पर आग ला
 रक्ते है। जिसके विरुद्ध प्रार्थिता
 द्वारा एक एक आइ आ। 232/2000
 खाना निवाइ में दर्ज करायी गी,
 उसके बाद उग्र पत्रकार के गहन
 लोगो की शमशाइय के राजीनामा
 है। अथा फिर भी अग्रार्थिता द्वारा
 राजीनामा की पालना नहीं की गई।
 तथा अग्रार्थिता द्वारा प्रार्थिता को
 उक्त ग्राम आगज्जित में लक्ष्म उग्र
 क लक्ष्म उग्र को भी कोशिश कर र
 है। अग्रार्थिता द्वारा बाधा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की जमीन के पूर्व दक्षिण वे बंगला
पु- 802 के दक्षिण पर 100 मीटर तथा
पूर्व में पश्चिम तक 130 मीटर कुल
 $130 \times 100 = 5200$ वर्ग फीट जमीन
प्राप्तियों को दी जाय- इसकी
प्रमाणों में (प्र. नं. 143 में 102x51
कुल 5202 वर्ग फीट जमीन
प्राप्तियों को दी गई थी।
- पुनः प्र. नं. 140/3 में प्राप्त
रिकॉर्डों के साथ पुनः करवाया है।
की प्राप्तियों के द्वारा 102x51
21/7/20 को 50 मीटर की
के द्वारा प्राप्तियों को साथ
143 में 102x51 कुल 5202
वर्ग फीट जमीन प्राप्तियों को
दी गई है। उक्त संपत्तियों में
अप्राप्तियों के द्वारा दोराने के
एक कोई कृपया भा. प्रमाणों
के साथ ही किताबें जिनके यह
साबित होता है कि अप्राप्तियों
द्वारा 5202 वर्ग फीट जमीन
प्राप्तियों को दे दि गई है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहका हुक्म नं में ५
	<p> फलतः ज्यामलाम् पार्थक्य प्राप्तिय पर स्वीकार करती उचित समझना है। अतः पार्थक्य का प्रामाण्य पर अन्तर्गत निष्पत्ती स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 12/11/23 से जारी अन्तर्गत निष्पत्ती को वापस मूलावस्था में लाने का आदेश पत्र जारी किया गया है। अतः उक्त आदेश को अंगीकार करने के लिए सुनवाई के लिए। </p>	